प्रपत्र-9

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

2022/236

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रशासन गाँवों के संग-
अभियान-2021

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रसूड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 87, 88 में [illegible] अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

[illegible] श्रीकिशन [illegible] करवाने की कृपा करावें।

दिनांक:-

(श्रीकिशन)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम रसूड़ के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 87, 88 में प्रार्थी का नाम किशन पुत्र रोया दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न [illegible] व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम श्रीकिशन है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0

पटवारी
ग्रा. शाहपुरा (भील.)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी रसूड़ व भू0अ0नि0 [illegible] एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम रसूड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 87, 88 में प्रार्थी का नाम किशन के बजाय श्रीकिशन किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

उ0 न0 174/22
10/06/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम रसूड़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 87, 88 में दर्ज प्रार्थी का नाम किशन के स्थान पर श्रीकिशन संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा(भील0)
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)